वसूली वित्त विभाग ने अतिरिक्त भुगतान की वसूली के निर्देश किए जारी

रादुविवि में तकनीकी कर्मचारियों से होगी 6 करोड़ की वसूली

नवभारत,जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में तकनीकी कर्मचारियों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वित्त विभाग ने इन कर्मचारियों को दिए जा रहे शैक्षणिक संवर्ग के वेतनमान को अवैध घोषित करते हुए अतिरिक्त भुगतान की वसूली के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले की शुरुआत अप्रैल 2023 में हुई थी, जब वेतनमान निर्धारण में गड़बड़ी पर आपत्ति दर्ज की गई। इसके बाद सेवा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कर्मचारियों को नियमों के विपरीत अधिक वेतन दिया जा रहा था। महालेखाकार की जांच में यह भी सामने आया कि अब तक लगभग 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जा चुका है।

शासन को लगातार वित्तीय नुकसान

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय-सीमा में वसूली नहीं होने से शासन को लगातार वित्तीय नुकसान हो रहा है। इससे पहले 26 अप्रैल 2024 को उच्च न्यायालय के निर्देश पर दो कर्मचारियों से वसूली के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन व्यापक स्तर पर कार्रवाई अब तेज की जा रही है।

कर्मचारियों में भारी चिंता का माहौल

इस बीच, प्रभावित कर्मचारियों में भारी चिंता का माहौल है। कई कर्मचारियों ने बढ़े हुए वेतन के आधार पर गृह ऋण लेकर मकान खरीदे हैं या अन्य जरूरी कार्यों में राशि खर्च कर दी है। ऐसे में एकमुश्त बड़ी वसूली उनके लिए गंभीर आर्थिक संकट का कारण बन सकती है।

कमेटी से मिली थी अलग-अलग रिपोर्ट

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक समिति बनाई गई थी उसे समिति में तीन लोग शामिल थे जिसमें दो लोगों में अलग रिपोर्ट दी थी तो वही एक सदस्य ने अलग रिपोर्ट पेश की थी। वहीं इस दोनों रिपोर्ट के बाद एक पत्रक तैयार हुआ था जिसे फर्जी पत्रक बताया गया था। इस रिपोर्ट के बाद वित्त विभाग से रिकवरी का आदेश जारी हुआ था। सूत्रों ने बताया कि कार्य परिषद की बैठक में भी इस मामले को रखा गया था, इसके बाद एक और फाइनल कमेटी बनाने का तय हुआ है।

इनका कहना है

वित्त विभाग से निर्देश जारी हुए हैं, इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने शासन को पत्र लिखकर वास्तविकता बताते हुए मार्गदर्शन मांगा है। वहीं एक फैक्ट फाइनली कमेटी भी बनाई गई है, इस कमेटी की जांच होने के बाद जो भी तय होगा उसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रो. डॉ राजेश कुमार वर्मा
कुलगुरु

उद्योगपति केमतानी पर पचास हजार का जुर्माना

हाईकोर्ट ने कहा-एफआईआर के बाद समझौता करना कानून का दुरुपयोग

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शहर के उद्योगपति महेश केमतानी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकल पीठ ने उक्त जुर्माने की राशि मप्र हाईकोर्ट बार में जमा करने के निर्देश दिये है। एकलपीठ ने उक्त निर्देश एक जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिये है। न्यायालय ने मामले में स्पष्ट किया कि पहले एफआईआर दर्ज कराया और उसके बाद समझौता कर लेना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, ऐसे मामलों में सख्ती से निपटना बेहद जरूरी है।

दरअसल यह पूरा मामला जबलपुर के महानद्दा स्थित शुभ मोटर्स से जुड़ा है। शिकायतकर्ता महेश केमतानी ने संदीप कुमार मिश्रा, नेहा विश्वकर्मा और नसीम खान उर्फ मुस्कान पर करीब 97 लाख रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मदन महल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान संदीप मिश्रा के परिवार से करीब 12 लाख रुपये की रिकवरी भी हुई थी। जिसके बाद गिरफ्तार आरोपी संदीप मिश्रा ने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली।

मामले में आवेदक की ओर से कहा गया कि शिकायतकर्ता से उनका समझौता हो गया है, वहीं शासन की ओर से आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि एफआईआर के बाद समझौता करना कानून का दुरुपयोग है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने आरोपी संदीप मिश्रा को जमानत प्रदान करते हुए शिकायतकर्ता महेश केमतानी पर पचास हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है।

सड़क हादसे में घायल की मौत

जबलपुर । अधारताल थाना अंतर्गत शोभापुर के पास आठ मार्च को हुए सड़क हादसे में घायल ने शनिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक अमित कुमार यादव 31 वर्ष निवासी कंचनपुर अधारताल को 8 मार्च को शोभापुर के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था जिसे इलाज के लिए परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था जहां उपचार के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है।

16 .56 लाख का गोल्ड लोन घोटाला

वैल्यूअर्स ने ग्राहकों के साथ मिलकर नकली आभूषणों को सोना दर्शा कर किया घपला एफआईआर दर्ज

जबलपुर। लार्डगंज थाना अंतर्गत सुपर मार्केट पंजाब नेशनल बैंक शाखा में बैंक के पैनल वैल्यूअर्स ने ग्राहकों के साथ मिलकर नकली सोने के जेवर गिरवी रखे और बैंक से 16.56 लाख का गोल्ड लोन लेकर हड़प लिया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक जवाहरगंज शाखा थाना लार्डगंज में पैनल वैल्यूअर्स राजीव सोनी एवं आशुतोष सराफ के द्वारा बैंक में गोल्ड लोन प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों द्वारा लाये गए नकली आभूषणों को वास्तविक सोना बताते हुए गोल्ड का मूल्यांकन किया गया जो बैंक द्वारा बाद मे स्वतंत्र मूल्यांकन कराये जाने पर पूर्व में किया गया मूल्यांकन गलत पाया गया। आरोपियों द्वारा मिलीभगत करते हुए बैंक के साथ धोखाधडी की गई। बैंक ने ग्राहकों को गोल्ड लोन स्वीकृत किये। षडयंत्र स मामलों में बैंक को 16,56,471 रूपए की क्षति हुई ।शाखा प्रबंधक सुभाष कुमार 42 वर्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने राजीव सोनी एवं आशुतोष सराफ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

नकली सोना गिरवी रख इन्होंने लिया लोन

जांच में पाया गया कि बुसरा कुरैशी ने नकली सोना रखा जिन्हें लोन ब्याज समेत 2,23,014 एवं लक्ष्मी प्रसाद कड़ेरे को दो गोल्ड लोन ब्याज समेत कुल 4,15,268 रूपए, निशा मंसूरी को ब्याज समेत 2,42,078 रूपए, सुशीला पटेल को ब्याज समेत 2,27,000 रूपए, अचिन उरमलिया को ब्याज समेत 3,30,846 रूपए, सुन्दर लाल साहू को ब्याज समेत कुल 2,09,647 रूपए, सोमनाथ करण को 1,52,000 रूपए का लोन दिया गया था ।

चलती गाड़ी से गिरा युवक, मौत

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बीती रात पनागर निवासी एक युवक चलती गाड़ी से अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया, जिससे आई गंभीर चोटों के कारण अस्पताल पहुँचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अरविन्द दाहिया (40) निवासी धर्मशाला पनागर बीती रात लगभग 11:30 बजे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से गुजर रहा था इसी दौरान वे अचानक चलती गाड़ी से नीचे गिर गया। सड़क पर गिरने से उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में घातक चोटें आईं।आनन-फानन में घायल अरविन्द को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है ।

ड्यूटी में तैनात गार्ड हुआ बेहोश, अस्पताल में मौत

जबलपुर। गोराबाजार थाना अंतर्गत एक फायनेंस कंपनी में तैनात गार्ड की अचानक तबियत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गया आनन-फानन में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक शनिवार को मेडिकल कालेज से सूचना मिली कि जन्वेश यादव 32 वर्ष निवासी चौधरी मोहल्ला पाटन को गोराबाजार स्पोर्टस क्लब के सामने स्थित मुथुड फायनेंस में गार्ड की ड्यूटी के दौरान अचानक बेहोश होने से भर्ती कराया गया था जिसकी इलाज के दौरान मोत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57